निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 कार्तिक 1940 (श0)
(सं0 पटना 979) पटना, शुक्रवार, 16 नवम्बर 2018

सं० 06/पणन (स०)–76/2015–**3421**
सहकारिता विभाग

संकल्प
11 अक्तूबर 2018

विषय : **कृषि रोड मैप अंतर्गत वर्ष 2017–22 तक के लिए निर्दिष्ट लक्ष्यानुसार पैक्स/व्यापार मंडलों में प्रति इकाई लागत रू0 77.45 लाख (सतहत्तर लाख पैंताली हजार) पर 2MT/घंटा मिलिंग क्षमता के कुल 260 जिसमें वर्ष 2018–19 में 115 विद्युत आधारित चावल मिल (ड्रायर सहित) स्थापित करने हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत कुल लागत रू0 89.0675 करोड़ एवं इस निमित्त 60:40 के अनुपात में केन्द्रांश एवं राज्यांश प्राप्त कर उक्त पैक्सों/व्यापारमंडलों को 50 प्रतिशत अनुदान तथा 50 प्रतिशत चक्रिय पूँजी के रूप में उपलब्ध कराने की स्वीकृति के संबंध में।**

राज्य में खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि, पैक्सों/व्यापारमंडलों के माध्यम से खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति तथा पूर्व के चावल मिल–सह–गैसीफायर संयंत्र की गुणवत्ता तथा कार्य निष्पादन के मद्देनजर तथा विद्युत आपूर्त्ति में वृद्धि के मद्देनजर वित्तीय वर्ष 2018–19 में पैक्सों/व्यापारमंडलों में कुल 115 विद्युत आधारित 2MT प्रतिघंटा मिलिंग क्षमता के चावल मिल (ड्रायर के साथ) स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

2. **योजना का भौतिक आकार एवं कार्यान्वयन समय–सीमा** :– राज्य सरकार द्वारा कृषि रोड मैप अन्तर्गत सहकारी क्षेत्र में 2018–19 में पैक्सों/व्यापारमंडलों में 2MT प्रतिघंटा मिलिंग क्षमता वाले चावल मिल (ड्रायर के साथ) स्थापित कराया जाना है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रति इकाई 77.45 लाख (चावल मिल–59.45 लाख एवं ड्रायर–18.00 लाख) की लागत से 115 चावल मिल (ड्रायर के साथ) की स्थापना पर कुल 89.0675 करोड़ रूपये व्यय होगा। चावल मिल (ड्रायर के साथ) स्थापित करने की अवधि एक वर्ष की होगी।

एतद् संबंधी एक विवरणी निम्न प्रकार है :–

क्र॰ सं॰	वर्ष	भौतिक लक्ष्य			वित्तीय लक्ष्य		अभ्युक्ति
		क्षमता (2मे॰टन/घंटा)	बिजली आधारित चावल मिल की संख्या		प्रति इकाई लागत ड्रायर के साथ (लाख में)	कुल लागत (करोड़ में)	
			समिति	संख्या			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2018–19	2 मे॰टन/घंटा	पैक्स/ व्यापारमंडल	115	77.45 (59.45+18.00)	89.0675	

वर्ष 2015–16 से राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत भारत सरकार, कृषि मंत्रालय द्वारा केन्द्र एवं राज्य के बीच 50:50 के अनुसार राशि व्यय की नई व्यवस्था की गयी थी किन्तु इस व्यवस्था को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पुनः संशोधित कर केन्द्र एवं राज्य के बीच 60:40 के अनुसार व्यय की नई व्यवस्था की गयी है।

3. वित्तीय स्त्रोत :– पैक्सों/व्यापारमंडलों में विद्युत आधारित चावल मिल (ड्रायर के साथ) की स्थापना हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (R.K.V.Y.) के अन्तर्गत कृषि विभाग, बिहार, पटना से केन्द्रांश मद में कर्णांकित राशि एवं समानुपातिक (40%) राज्यांश मद में प्राप्त होने वाले उद्व्यय एवं बजट उपबंधित राशि पैक्सों/व्यापारमंडलों को सहकारी बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

कृषि विभाग द्वारा आर॰के॰भी॰वाई॰ अन्तर्गत सामान्य, SCP एवं TSP मद में अलग–अलग राशि कर्णांकित किया गया है। इस कर्णांकित राशि का उपयोग करने हेतु पंचायत चुनाव में मुखिया पद के लिए किये गये आरक्षण को आधार बनाया जायेगा और चयनित पैक्सों में उसी आधार पर उसी श्रेणी को आरक्षण का लाभ देते हुए चावल मिल (ड्रायर के साथ) का निर्माण कराया जायेगा। व्यापार मंडलों में भी तद्नुसार आरक्षण के अनुसार चावल मिलों का निर्माण कराया जायेगा।

4. चक्रीय पूँजी की वापसी :– योजनान्तर्गत पैक्सों/व्यापारमंडलों में विद्युत आधारित चावल मिल (ड्रायर के साथ) की स्थापना हेतु उपलब्ध करायी गयी चक्रीय पूँजी की वापसी योजना पूर्ण होने के अगले वर्ष से 10 वर्षों में 20 अर्द्धवार्षिक समान किस्तों में की जा सकेगी। चक्रीय पूँजी की उक्त वापसी की राशि से एक Revolving Fund का सृजन तथा संधारण किया जायेगा। Revolving Fund की राशि का उपयोग सहकारी समितियों के आधारभूत संरचनाओं के रख–रखाव हेतु अलग से योजना तैयार कर इसी प्रकार की चक्रीय पूँजी समितियों को उपलब्ध कराने हेतु किया जा सकेगा।

पैक्सों/व्यापारमंडलों को विद्युत आधारित चावल मिल (ड्रायर के साथ) की स्थापना हेतु उपलब्ध करायी गयी चक्रीय पूँजी का अभिलेख संबंधित जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय में संधारित होगा जिसमें दी गई चक्रीय पूँजी का ब्योरा, किस्त वापसी की राशि एवं तिथि के साथ–साथ समितियों द्वारा राशि वापसी का भी पूरा ब्योरा होगा। बैंक के स्तर से राशि वापसी का पूरा ब्योरा अंकित करते हुए वापसी तिथि के एक माह पूर्व मांग पत्र समितियों को प्राप्त कराया जायेगा। राशि वापसी में चूक की स्थिति में लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी।

5. भूमि की व्यवस्था :– पैक्सों में स्थापित होने वाले विद्युत आधारित चावल मिल (ड्रायर के साथ) की स्थापना हेतु भूमि पैक्सों द्वारा ही उपलब्ध कराया जाना है। इस क्रम में पैक्सों के पास पूर्व से उपलब्ध जमीन अथवा दान के माध्यम से अथवा पैक्सों के द्वारा अपने संसाधन से खरीदी अथवा लीज पर ली गई जमीन का उपयोग हो सकेगा।

समितियों का चयन : विद्युत आधारित चावल मिल (ड्रायर के साथ) की स्थापना हेतु पैक्सों एवं व्यापारमंडलों का चयन जिला स्तर पर प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा।

कार्यान्वयन एजेन्सी:– पैक्स/व्यापारमंडल में कराये जाने वाले निर्माण कार्य का कार्यान्वयन पैक्स/व्यापारमंडल द्वारा स्वयं या निविदा के माध्यम से किया जायेगा।

तकनीकी पर्यवक्षण :–परियोजना का मॉडल नक्शा तथा प्राक्कलन पर भवन निर्माण विभाग से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की गई है, उसे लाभान्वित समितियों तथा संबंधित जिला के पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया जायेगा, परन्तु स्थानीय मानकों के आलोक में संबंधित जिला पदाधिकारी के द्वारा अधिकृत अभियंता के स्तर पर प्रति इकाई लागत की अधिसीमा अन्तर्गत Structural Design तथा प्राक्कल जिला पदाधिकारी के अनुमोदन से संशोधन किया जा सकेगा। उपरोक्त योजनाओं के तहत होने वाले निर्माण कार्यों में तकनीकी पर्यवेक्षण Third Party

Consultant/Open Market से कराने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमिटी द्वारा असैनिक कनीय अभियंताओं का चयन किया जायेगा, जिन्हें प्रति इकाई विद्युत आधारित चावल मिल (ड्रायर सहित) के प्राक्कलन के अनुसार असैनिक कार्यों के लागत का 2.5% मानदेय दिया जायेगा, जो विद्युत आधारित चावल मिल (ड्रायर सहित) के कुल लागत के अन्तर्गत होगा। इस संबंध में निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के स्तर से एक दिशा–निर्देश निर्गत किया जायेगा।

अनुश्रवण :–जिला स्तर पर निर्माण कार्यों का अनुश्रवण जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति जिसमें जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, सदस्य होंगे, के द्वारा किया जायेगा। मुख्यालय स्तर पर प्रगति का अनुश्रवण निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा किया जायेगा।

6. **योजना का कार्यान्वयनः–** वित्तीय वर्ष 2018–19 में पैक्सों/व्यापारमंडलों में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत कुल लागत रू॰ 89.0675 करोड़ रूपये (नब्बासी करोड़ छः लाख पचहत्तर हजार) का 60% केन्द्रीय हिस्सा तथा 40% राज्य हिस्सा प्राप्त कर सहकारी बैंकों के माध्यम से उक्त सहकारी समितियों को 50% अनुदान तथा 50% चक्रीय पूँजी के रूप में उपलब्ध कराते हुए 2MT प्रतिघंटा मिलिंग क्षमता के 115 विद्युत आधारित चावल मिल (ड्रायर के साथ) की स्थापना की जायेगी।

7. इस योजना के संबंध में विभागीय स्वीकृति पत्र एवं विभागीय दिशा–निदेश लागू होगा।

8. मंत्रिपरिषद् की दिनांक 31.07.2018 की बैठक में मद संख्या 07 में निहित प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त है।

9. यह संकल्प तत्काल प्रभाव से राज्य में प्रभावी समझा जायेगा।

आदेश :- **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।**

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुरेश चौधरी,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 979-571+20-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in